रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274429
CG-DL-E-14072026-274429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3578]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948
No. 3578]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2026

का.आ. 3740(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 14 मई, 2025 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2141(अ), तारीख 09 मई, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, "*लोकमत*" और "*टाइम्स ऑफ इण्डिया*" में तारीख 12 जून,.2025 को प्रकाि"ात किया गया था;

और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे;

और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अत :अब, केन्द्रीय सरकारए सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 20(ङ) की उपधारा-(2) के अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ए इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जित करने की घोषणा करती है और यह भी घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी भारों से मुक्त होकर पूर्णत :केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना भवेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर" के लिये अर्जित की जाने वाली भूमी का संरचना या उसके बिना संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे संख्या/गट संख्या	भूमी का प्रकृती	भूमी का प्रकार	क्षेत्रफल हेक्टर मे	भू स्वामी / हितबध्द व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	पालघर	पालघर	कर्दळ	10/1	बिनखेती	निजी	0.1365	शिल्पा यशवंत घरत, शुभांगी राजेश राऊत, तन्वी राजेश राऊत, हेमलता मंगेश राऊत, सायली सचिन नाईक, आशिष अनिल सावे, अमोल अनिल सावे, ज्योती सुशेंद्र सावे, रजनी दिपक सावे, निता दिपक चुरी
2	पालघर	पालघर	कर्दळ	10/2	बिनखेती	निजी		मे. दत्तगुरू बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स चे भागीदार प्रवीण जनार्दन साखरे, गंगाराम बाबुराव ठाकुर, चंद्रकांत मारुती बाबर

[फा. सं. 2026/एलएमएल-II /12/1/ डब्ल्यू सी /2520]

ऋषि गंगवार, कार्यकारी निदेशक / भूमि एवं सुविधाएं

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2026

S.O. 3740(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), *vide* number S.O.2141(E), dated the 09th May, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 14th May, 2025, (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution of special railway project, namely, "Western Dedicated Freight Corridor" in the district of Palghar in the State of Maharashtra;

And whereas the substance of the said notification was published in dailies, namely, *"Lokmat"* and *"The Times of India"*, dated the 12thJune, 2025, under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas no objections were received from the public in respect of the said notification within the specified period;

And whereas in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government, hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose and in pursuance of sub-section (2) of section 20(E) of the said Act, the Central Government further declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired, with or without structure, for the special railway project of "Western Dedicated Freight Corridor" in Palghar district in the State of Maharashtra.

Name of the district – Palghar

Sr. No.	**Name of district.**	**Name of taluka.**	**Name of village.**	**Survey No/ gut. No.**	**Nature of land.**	**Type of land.**	**Area in hectors.**	**Name of the land owner/interested person.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1.	Palghar.	Palghar.	Kardal.	10/1	Non Agricultural.	Private.	0.1365	Shilpa Yashwant Gharat Shubhangi Rajesh Raut, Tanvi Rajesh Raut, Hemlata Mangesh Raut, Sayali Sachin Naik, Ashish Anil Save, Amol Anil Save, Jyoti Sushendra Save, Rajani Deepak Save, Nita Deepak Churi.
2.	Palghar.	Palghar	Kardal.	10/2	Non Agricultural.	Private.		Me. Dattaguru Builders And Developers Partner Pravin Janardan Sakhare, Gangaram Baburao Thakur, Chandrakant Maruti Babar.

[F.No. 2026/LML-II/12/1/WC/2520]

RISHI GANGWAR, ED/L &A

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.14 09:56:43 +05'30'